न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 566/2016

वादीगण :-

1. पन्ना चौहान पुत्री मोहनसिंह
   पत्नि दिनेशसिंह चौहान
2. हर्षवर्धन पुत्र मोहनसिंह
3. अयोध्या पत्नि मोहनसिंह
4. जागृति पुत्री मोहनसिंह

जातियान-दरोगा, निवासी-चावण्डिया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भागीरथसिंह पुत्र डूंगा उर्फ हमीरसिंह
2. मीना पुत्री डूंगा उर्फ हमीरसिंह
3. माया पुत्री डूंगा उर्फ हमीरसिंह
4. गायत्री पुत्री डूंगा उर्फ हमीरसिंह
5. सुमित्रा पत्नि डूंगा उर्फ हमीरसिंह
   जातियान-दरोगा, निवासी-चावण्डिया
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
6. गैरकी पत्नि मांगीलाल
   जाति-सीरवी,निवासी-चावण्डियाकलां
7. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.29.11.2016**

उपस्थितः- 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री प्रद्युम्न श्रीमाली, श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 11/07/2017**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-चावण्डियाकलां, पटवार हल्का-चावण्डियाकलां, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता डूंगा उर्फ हमीरसिंह पुत्र मंगा के नाम की शामलाती कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 316 रकबा 0-18 बीघा एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 9-15 बीघा किस्म बारानी अव्वल अपने दादा एवं पिता के समय से ही पैतृक पुश्तैनी की भूमि आई हुई हैं। वादीगण के दादा मंगा पुत्र गिरधारी के नाम से ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। जिनके फौत होने पर उक्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति मंगा के वारिसानों ने एवं उत्तराधिकारियों में जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के दर्ज की जानी थी तथा मंगा उर्फ मंगलसिंह के फौत होने पर वंश वृक्षावली अनुसार वारिसान डूंगा उर्फ हमीरसिंह (फौत) एवं मोहनसिंह (फौत) हुए एवं पुत्री मूली हुई। डूंगा उर्फ हमीरसिंह (फौत) के वारिसान भागीरथसिंह, मीना माया गायत्री सुमित्रा हैं। तथा मोहनसिंह (फौत) के वारिसान हर्षवर्धन, जागृति पन्ना व अयोध्या हैं। उक्त वर्णित वंश वृक्षावली अनुसार उक्त खसरान् भूमि में मंगा उर्फ मंगलसिंह पुत्र गिरधारी का 2/3वां हिस्सा आता था तथा उनके फौत होने पर उनके वारिसानों का 2/3वां हक हिस्सा पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं तथा अपने हिस्से के अधिकारी हैं तथा उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक बराबर के हक हिस्से के अधिकारी हैं। लेकिन मंगा के फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादीगण के पिता मोहनसिंह पुत्र मंगा उर्फ मंगलसिंह जो विधिक वारिसानों में हैं। उनका नाम म्यूटेशन संख्या 312 दिनांक 03/05/1981 को दर्ज किया गया, जिसमें सही व वास्तविक विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही मात्र प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

संख्या 1 से 5 तक के पिता डूंगा उर्फ हमीरसिंह के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज कर लिया गया, जो गलत व विधिविरूद्ध हैं तथा उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी होने से उक्त सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् वादीगण के पिता मोहनसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक था तथा मोहनसिंह के फौत होने पर उनके वारिसानों के एवं विधिक उत्तराधिकारियों वादीगण के उत्तराधिकारी होने से उक्त सम्पति में अपने नाम की खातेदारी काश्तकारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। नकल जमाबन्दी नामान्तरकरण साथ पेश की हैं। उक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दादा मंगा उर्फ मंगलसिंह पुत्र गिरधारी के नाम से दर्ज थी तथा मंगा के विधिक वारिसानों में वाद-पत्र में वर्णित वृक्षावली तथा वर्णित वंश वृक्षावली के अनुसार उक्त वर्णित आराजी में वादीगण के पिता का नाम दर्ज किया जाना था तथा वादीगण के पिता जिन्दा वारिसानों में थे तथा बतौर पुत्र वादीगण के पिता का नाम भी फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया जाना आवश्यक था, जो एक कानूनी एवं विधिक भूल हैं। उक्त सम्पति वादीगण की एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक की पैतृक पुश्तैनी होने से वादीगण का भी हिस्सा निहित हैं। उसके साम्पैतिक अधिकार निहित होने से उक्त सम्पति के अपने नाम की खातेदारी व काश्तकारी अधिकारों की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी होने एवं नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 03/05/1981 को खारिज करवाने के अधिकारी होने से यह वाद-पत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादीगण के दादा मंगा उर्फ मंगलसिंह पुत्र गिरधारी के फौत होने पर तत्कालीन आर0आई0 व पटवारी ने बिना वारिसानों की जांच किए दिनांक 03/05/1981 को नामान्तरकरण संख्या 312 को अकेले प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक के पिता डूंगा उर्फ हमीरसिंह के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया, जो एक रोंग एन्ट्री हैं। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् मंगा के फौत होने पर उक्त सम्पति मंगा के सभी विधिक वारिसानों एवं उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। इस कारण नामान्तरकरण संख्या 312 कानूनन नल एण्ड वाईड होने से काबिले खारिज हैं। जिसे खारिज कर अपास्त किया जावें एवं लिपिकीय त्रुटि एवं मानवीय भूल वश डूंगा पुत्र गिरधारी दर्ज किया गया। उसे संशोधन कर डूंगा उर्फ हमीरसिंह पुत्र गिरधारी के नाम का राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें एवं उसे दुरूस्त किया जावें। इस संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया, जिसे सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त रोंग एन्ट्री के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। इसलिए उक्त रोंग एन्ट्री लिपिकीय भूलवश एवं मानवीय त्रुटि वश हुई रोंग एन्ट्री को दुरूस्त करवाने एवं अपने नाम की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी होने के कारण यह वाद-पत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं। उक्त वर्णित आराजी में जो कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी हैं, जिसमें वादीगण का हक हिस्सा कानूनन आता हैं तथा मौके पर काबिज काश्त हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता मोहनसिंह एवं उनके फौत होने पर वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हैं। जबकि उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी होने से वादीगण के पिता का तथा उनके फौत होने पर वादीगण अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। यदि उक्त सम्पति में वादीगण का नाम अपने पैतृक पुश्तैनी हक अधिकारों के तहत् दर्ज नहीं होता हैं तो वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगें। इसलिए वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अपने हक व अधिकारों एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कने अपने पिता के नाम की खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा उनके फौत होने पर वादीगण अपने नाम की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह वाद-पत्र बाबत् घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश किया हैं। दिनांक 22/11/2016 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर उनको जानकारी हुई कि उक्त वर्णित आराजी में उनमे पिता का नाम दर्ज नहीं हैं तथा उनके फौत होने के बाद उनका नाम दर्ज नहीं हैं एवं अकेले मात्र प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक के पिता डूंगा उर्फ हमीरसिंह का नाम दर्ज होने के कारण एवं राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज होने के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 उक्त वर्णित आराजी को आगे से आगे अन्य व्यक्तियों को रहन बेचान बक्शीश अन्य हस्तान्तरण कर देते हैं, तो वादीगण अपने जायज हक व विधिक अधिकारों से महरूम हो जायेगें एवं इस रोंग एन्ट्री के आधार पर वादीगण को असीम क्षति होगी तथा मौके पर विवाद होगें तथा मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण उक्त रोंग एन्ट्री को सुधारने एवं अपने नाम की घोषणा करवाने के अधिकारी होने के कारण एवं अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगणस संख्या 7 तहसीलदार, जैतारण एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण हैं तथा लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया तथा इनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। लेकिन वाद अति आवश्यक प्रवृति का होने से नोटिस दिया जाना डिस्पेन्सविथ किया जाकर बाद अनुमति वाद-पत्र पेश हैं तथा धारा 80(2) सीपीसी का अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं तथा प्रतिवादी संख्या 6 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार हैं। उनके विरूद्ध हक हिस्से बाबत् वादीगण ने कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं। सह खातेदार होने से वाद-पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। बिनायवाद दिनांक 22/11/2016 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने एवं अपने पिता एवं अपना नाम नहीं होने की जानकारी होने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 तक से निवेदन करने तथा मना करने पर बमुकाम-चावण्डियाकलां, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में होने से अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। वकील प्रतिवादीगण ने ईकबालिया जबाबदावा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया हैं। मजमा-ए-आम में पक्षकारों में समझाईश की गई। लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् राजीनामा पेश करने पर सहमत हो गए। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात, ईकबालिया जबाबदावा एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–चावण्डियाकलां, पटवार हल्का–चावण्डियाकलां, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता डूंगा उर्फ हमीरसिंह पुत्र मंगा के नाम की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 316 रकबा 0–18 बीघा एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 9–15 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को 2/3 हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 11/07/2017 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–चावण्डियाकलां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)